जारी
22.9.17

संख्या–687/X–3–17–01(04)/2017

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः– 22 सितम्बर, 2017

विषयः– उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के संकल्प संख्या–289/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 एवं अधिसूचना संख्यां–290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 शासनादेश संख्या–291/XXVII(7)30(8)/2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या–266/45/XXVII(10)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या–267/45/XXVII(10)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के निदेशक मण्डल द्वारा पारित वेतन मैट्रिक्स (संलग्न–निदेशक मण्डल द्वारा पारित वेतन मैट्रिक्स स्लेब अनुसूची) एवं वेतनमान इस प्रतिबन्ध/शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस संबंध में होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जायेगा।

3. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में निहित व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2017 से नगद देय होगा तथा दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक अवशेष वेतन भत्तों एवं एरियर के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे।

4. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नियमित कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (MACPS) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)30(14)/2017, दिनांक 17 फरवरी, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार मान्य होगा।

क्रमश.....2

5. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में दिए गये निर्देशानुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नियमित कार्मिकों/सेवा निवृत्त कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवां वेतनमान लागू किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कार्मिकों को सातवां वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्यय–भार उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा मित्तव्यत्ता सुनिश्चित करते हुए आय हेतु संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी।

6. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–229/XXVII(10)/2017,दिनांक 22 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव।

संख्या– (1)//X–3–17–01(04)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, औधोगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।